



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहपतिवार, 30 जनवरी, 2014 ई0
माघ 10, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या 65/XXVIII-2/01(343)2005
देहरादून, 30 जनवरी, 2014

अधिसूचना
प्रकीर्ण

प0 आ0-31

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करते हुए, उत्तराखण्ड की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

'उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014'

भाग-एक
सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) यह नियमावली 'उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2014' कहलायेगी।
- (2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति— उत्तराखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित है।

3. परिभाषायें—

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

- (क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (ख) भारत का नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत के संविधान भाग-11 के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता हो;
- (ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- (घ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
- (ङ) 'निदेशक' से निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (च) 'महानिदेशक' से महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
- (छ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
- (झ) 'सेवा का सदस्य' से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से/मौलिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ञ) 'प्रमुख सचिव/सचिव' से प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन अभिप्रेत है;
- (ट) 'सेवा' से 'उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा' अभिप्रेत है;
- (ठ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हों, अभिप्रेत है;
- (ड) समूह 'क' से वेतनमान वेतन बैंड 3 सादृश्य वेतनमान रु. 15600-39100 ग्रेड पे 6600 तथा उससे उच्च वेतनमान में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ढ) समूह 'ख' से वेतनमान वेतन बैंड 3 सादृश्य वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड पे 5400 के पदों पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ण) 'अपर निदेशक' से अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र अभिप्रेत है;
- (त) 'संयुक्त निदेशक' से प्रमुख विशेषज्ञ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक के समकक्ष वेतनमान के अन्य अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (थ) 'वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी' से मुख्य विशेषज्ञ, चिकित्सा अधीक्षक, जी0डी0एम0ओ0, नगर स्वास्थ्य अधिकारी अभिप्रेत हैं;
- (द) 'चिकित्सा अधिकारी ग्रेड'-एक से ई0एम0ओ0 एवं विशेषज्ञ ग्रेड-1 अभिप्रेत है;
- (ध) 'चिकित्सा अधिकारी' से आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयनित एवं नियुक्त चिकित्साधिकारी अभिप्रेत है;
- (न) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग-दो
संवर्ग

4. **सेवा संवर्ग-**

- (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाय प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उतनी होगी, जो परिशिष्ट-1 में दी गई है।
परन्तु उपबन्ध यह है कि-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगे या किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग-तीन
भर्ती

5. **भर्ती का स्रोत-**

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

(एक) **महानिदेशक-**

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-2 पर उल्लिखित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष और कुल छब्बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(दो) **निदेशक-**

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-3 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त अपर निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल बाईस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(तीन) **अपर निदेशक-**

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-4 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल अट्ठारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(चार) **संयुक्त निदेशक-**

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-5 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल तेरह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

(पांच) **वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी-**

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-6 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और कुल आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा;

(छ) **चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1**

परिशिष्ट-1 के क्रमांक-7 पर उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार कर पदोन्नति द्वारा; एवं

(सात) **चिकित्सा अधिकारी-**

आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।

6. **आरक्षण-**

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार

अर्हता

7. **राष्ट्रीयता-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये भी पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर, सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी-

जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तितम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. **शैक्षणिक अर्हता-**

(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम से कम एम0बी0बी0एस0 की उपाधि या समकक्ष अर्हता रखता हो।

परन्तु यह कि नीचे उल्लिखित परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा मान्य समकक्ष शैक्षणिक उपाधि प्राप्त चिकित्सकों को चयन में वरीयता दी जायेगी:-

क.सं.	पदनाम	शैक्षिक उपाधि
1	शल्य चिकित्सक (सर्जन)	एम0एस0-(जनरल सर्जरी), एम0एस0-वैसकुलर सर्जरी/एम0सी0एच0 आंकोलॉजी/एम0सी0एच0-सर्जिकल गैस्ट्रोएण्ट्रोलोजी/एम0सी0एच0/डी0एम0-आंकोलॉजी/डी0एम0-रिहोमेटोलॉजी
2	निश्चेतक (एनेस्थेटिस्ट)	एम0डी0/एम0एस0 (एनेस्थीसिया)/डी0ए0एनेस्थीसिया/डी0एम0- कार्डियक एनेस्थेटिस्ट
3	विकृति विज्ञानी (पैथोलॉजिस्ट)	एम0डी0 (पैथोलॉजी), डी0सी0पी0 डी0एम0-हैमेटोलॉजी पैथोलॉजी/एम0डी माइक्रोबायोलॉजी/एम0डी0-ब्लड बैंकिंग एवं इम्युनो-हिमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रान्सफ्यूजन/डी0एम0-क्लिनिकल हिमेटोलॉजी
4	चिकित्सक (फिजीशियन)	एम0डी0 (मेडिसिन) डी0एम0-नैफोलॉजी/डी0एम0-एण्डोक्राइनोलॉजी/पी0एच0डी0-ह्यूमन जैनेटिक्स/एम0डी0-ह्यूमन मेटाबोलिज्म/डी0एम0-फार्माकोलॉजी/डी0एम0-गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी

क.सं.	पदनाम	शैक्षिक उपाधि
5	एक्स-रे विज्ञानी (रेडियोलॉजिस्ट)	एम0डी0(रेडियोलोजी / डी0एम0आर0डी0 / डी0एम0आर0टी0 / डी0एम0- न्यूरोरेडियोलॉजी
6	हृदय रोग विज्ञानी (कार्डियोलॉजिस्ट)	एम0डी0 (मेडिसिन) / डिप-कार्ड / डी0एम0-कार्डियोलॉजी / डी0एम0-पल्मोनरी मेडिसिन / डी0एम0-पैडियट्रिक कार्डियोलॉजी
7	आंख नाक गला शल्य चिकित्सक(ई0एन0टी0 सर्जन)	एम0एस0 (ई0एन0टी0) / डी0एल0ओ0 / डी0एन0बी0
8	विकलांग विज्ञानी शल्य चिकित्सक(आर्थोपेडिक सर्जन)	एम0एस0 (आर्थ0) डी0आर्थ0
9	नेत्र शल्यक (आप्टोल्मिक सर्जन)	एम0एस0 (ऑप्टल्माकलौजी), डी0ओ0एम0एस0
10	बालरोग विशेषज्ञ (पिडिएट्रिक स्पेशलिस्ट)	एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स)डी0सी0एच0 / डी0एम0-पैडियट्रिक आंकोलॉजी / एम0सी0एच0-पैडियट्रिक सर्जरी
11	चर्मरोग विशेषज्ञ (डरमेटोलॉजिस्ट)	एम0डी0 -स्किन / वी0डी0 / डी0वी0डी0)
12	टी0बी0 / चेस्ट विशेषज्ञ	एम0डी0 (टी0बी0) / डी0टी0 सी0डी0 एम0डी0चेस्ट / डिप चेस्ट / एम0डी0-पल्मोनरी मेडिसिन
13	स्त्रीरोग विशेषज्ञ (गायनाकोलॉजिस्ट)	एम0एस0 / एम0डी0 (गायनोकालौजी / आब्टेट्रिक्स) / डी0जी0ओ0
14	प्लास्टिक सर्जन	एम0एस0 / एम0सी0एच0 बर्न प्लास्टिक सर्जरी
15	तंत्रिका विज्ञानी (न्यूरोलॉजिस्ट)	एम0डी0 / डी0एम0-न्यूरोलॉजी
16	साइकैट्रिस्ट	एम0डी0-साइकैट्रिस्ट / डिप्लोमा इन साइकोलोजिकल मेडिसिन
17	रेडियोथेरेपिस्ट	एम0डी0 रेडियोथेरेपी
18	माइक्रो-बायोलॉजिस्ट	एम0एस0सी0-मेडिकल बैक्टिरियोलॉजी / एम0एस0सी0-माइक्रोबायोलॉजी / डिप्लोमा इन बैक्टिरियोलॉजी / पी0एच0डी0- माइक्रोबायोलॉजी
19	न्यूरो सर्जन	एम0एस0-न्यूरो सर्जरी / एम0सी0एच0-न्यूरो सर्जरी
20	यूरोलॉजिस्ट	एम0सी0एच0-यूरोलॉजी
21	नेफ्रोलॉजिस्ट	डी0एम0-नेफ्रोलॉजी
22	चेस्ट सर्जन	एम0सी0एच0-कार्डियक थोरेसिक सर्जरी

(2) सेवा में नियुक्ति से पूर्व उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण अनिवार्य होगा।

9. अधिमानी अर्हताए-

अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी, जिसने
(एक) नियम 8 के परन्तुक में निर्धारित उपाधि प्राप्त की हो, या
(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,

10. आयु-

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए;

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11. चरित्र-

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं अपना समाधान करेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति-

पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से शिथिलता प्रदान कर सकेगी।

13. शारीरिक योग्यता-

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक अं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण, उसे आकर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण कर होगी;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत का अपेक्षित नहीं होगा।

भाग-पांचभर्ती प्रक्रिया14. रिक्तियों का अवधारण-

नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों को, नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया-

(1) चयन के लिये विचार करने हेतु आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र मंगवाये जायेंगे। आ प्रपत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते आयोग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पूरा करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुला जायेगा, जितने वह उचित समझे।

- (3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार के प्राप्त अंको द्वारा प्रकटित प्रवीणता क्रम में, सूची बनायेगा। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25% से अधिक नहीं होगी)। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

- (1) महानिदेशक एवं निदेशक के पद पर भर्ती, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) मुख्य सचिव, अध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन

(तीन) प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

(चार) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/जनजातियों सदस्य
सदस्य का कोई अधिकारी, जो सरकार के सचिव से निम्न स्तर का न हो

- (2) अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 के पद पर भर्ती श्रेष्ठता/अनुपयुक्त को छोड़कर, ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) प्रमुख सचिव/सचिव, अध्यक्ष
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग अथवा उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई सदस्य
अधिकारी जो सरकार के अपर सचिव स्तर से निम्न स्तर से कम न हो।

(तीन) महानिदेशक सदस्य
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

(चार) चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/जनजातियों सदस्य का कोई
अधिकारी, जो सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो सदस्य

टिप्पणी- (1) चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 7 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती यथास्थिति श्रेष्ठता/अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के आधार पर की जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जाय।

(4) चयन समिति द्वारा उपनियम (3) के निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे पदोन्नति की जाती है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग-छः

नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17. नियुक्ति-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15 व 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्ति करेगा।
- (2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, चयन में आधारित ज्येष्ठता के आधार पर, उस क्रम में यथास्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

18. परिवीक्षा-

- (1) मौलिक रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारी की परिवीक्षा दो वर्ष की होगी।
- (2) चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा,
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जब तक अवधि बढ़ाई जाये, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे;
परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या अन्यथा समाधान करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उनका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (5) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (6) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजनार्थ उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में सम्मिलित किये गये पद पर या किसी समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

19. स्थायीकरण-

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में, उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा, यदि उसका/उसकी-

- (क) कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,
- (ख) सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो, तथा
- (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

20. ज्येष्ठता-

- (1) एतदपश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारण) नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 15 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

- (2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय:

परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव प्रदान किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अनन्तिम होगा।

- (3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।
- (4) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक-पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 20 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार कर्मांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे:

परन्तु यह कि—

- (एक) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाती हैं वहाँ कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियाँ हों, नीचे कर दी जायेंगी।
- (दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।
- (तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरुद्ध की गयी है।

भाग—सात वेतन इत्यादि

21. वेतनमान—

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।
- (3) समस्त परास्नातक डिप्लोमाधारक विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी को इस नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त, यथा लागू वेतनमान में तीन वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा जो वेतन का भाग होगा।
- (4) समस्त विशेषज्ञ परास्नातक डिग्री धारक चिकित्साधिकारी को यथा लागू वेतनमान में पांच वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा जो वेतन का भाग होगा।
- (5) समस्त सुपर स्पेशलिस्ट(एम0सी0एच0/डी0एम0 एवं समकक्ष उपाधिधारक) चिकित्साधिकारी को यथा लागू वेतनमान में सात वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा जो वेतन का भाग होगा।
- (6) ऐसे चिकित्साधिकारी, जिनके द्वारा अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ पूर्व में प्राप्त कर लिया गया हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

22. परिवीक्षा अवधि में वेतन—

- (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थाई सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि 02 वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थाई किये जाने पर दी जायेगी।

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढ़ाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

- (2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पदधारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।
- (3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग—आठ**अन्य प्राविधान****23. पक्ष समर्थन—**

किसी पद पर या सेवा में लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

24. अन्य विषयों का विनियमन—

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

25. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण—

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे।

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

26. ड्यूटी पर ऐप्रन के साथ बैज का पहनना—

- (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य जबकि वह ड्यूटी पर हो सरकार के परामर्श से महानिदेशक द्वारा समय-समय पर दिये गये नाम और पदनाम युक्त बैज के साथ ऐप्रन धारण करेगा।
- (2) उपनियम (1) के अधीन सेवा के किसी सदस्य के पोशाक को तैयार कराने, क्य करने या बदलने के लिये किसी प्रकार का भत्ता या व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

27. व्यावृत्ति

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

अधिसूचना संख्या- 65 / XXVIII-2 / 01(343)2005, दिनांक 30 जनवरी, 2014 का परिशिष्ट-1

क्र० सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	पदोन्नति हेतु अर्हता/भर्ती की विधि	सैन्यी का स्थान	अभ्युक्ति
1	महानिदेशक	वेतनबैण्ड-4 ₹37400-67000 ग्रेड पे-12,000	01	परिशिष्ट-1 के क्रमांक-2 पर उल्लिखित पद पर न्यूनतम 01 वर्ष और कुल 26 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	मुख्यालय	निदेशक, दून चिकित्सालय-01 निदेशक मंडल स्तर-02 निदेशक मुख्यालय -03
2	निदेशक	वेतनबैण्ड-4 ₹37400-67000 ग्रेड पे-10,000	06	परिशिष्ट-1 के क्रमांक-3 पर उल्लिखित पद पर न्यूनतम 01 वर्ष और कुल 22 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	3 पद मुख्यालय पर, निदेशक-चिकित्सा स्वास्थ्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नियोजन बजट एवं मंडल, 02 पद सम्भागीय निदेशक मंडल स्तर 01 पद निदेशक-दून/दून महिला/कोरोनेशन चिकित्सालय समूह	निदेशक, दून चिकित्सालय-01 निदेशक मंडल स्तर-02 निदेशक मुख्यालय -03
3	अपर निदेशक	वेतनबैण्ड-4 ₹37400-67000 ग्रेड पे-8900	35	परिशिष्ट-1 के क्रमांक-4 पर उल्लिखित पद पर न्यूनतम 03 वर्ष और कुल 18 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	मुख्यालय पर 08 पद, अपर निदेशक (प्रशासन, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नियोजन, मंडल, चिकित्सा उपचार, परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण) प्रमुख अधीक्षक-12 (देहरादून, पोड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा, श्रीनगर, हल्द्वानी व क्षय रोगाश्रम, भवाली) प्रत्येक जनपद हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी 13/सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र हेतु 02 प्रधानाचार्य	अपर निदेशक मुख्यालय -08 प्रमुख अधीक्षक -12 मुख्य चिकित्सा अधिकारी-13 प्रधानाचार्य -02

1	2	3	4	5	6	7
4	संयुक्त निदेशक अपर मुख्य अधिकारी, निदेशक मंडलीय संयुक्त निदेशक / प्रमुख विशेषज्ञ / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक /	वेतनबैपद-4 ₹37400-67000 ग्रेड पे-8700	160	परिशिष्ट-1 के कर्मांक-5 पर उल्लिखित पद पर न्यूनतम 03 वर्ष और कुल 13 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मंडल कार्यालय/राज्य मुख्यालय/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला, महिला, संयुक्त, बेस चिकि0 /मानसिक सेग सस्थान /टी0बी0 सेनेटोरियम प्रमुख विशेषज्ञ-दून/बेस चिकित्सालय	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडलीय संयुक्त निदेशक (राज्य संयुक्त निदेशक मुख्यालय)- चिकित्साधीक्षक-25 मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका-06 प्रमुख विशेषज्ञ
5.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	वेतनबैपद-3 ₹15600-39100 ग्रेड पे-7600	396	परिशिष्ट-1 के कर्मांक-6 पर उल्लिखित पद पर न्यूनतम 03 वर्ष और कुल 08 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	प्रा0 स्वा0केन्द्र के प्रथम चिकित्साधिकारी/डी0टी0एम0ओ0 /वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी-जिला, महिला, बेस एवं संयुक्त चिकित्सालय/जिला कुष्ठ अधिकारी, डी0टी0सी0, हैल्थ पोस्ट, नगरीय प0क0 केन्द्र/एम0एल0सी0यू0, मोबाइल युनिट /सहायक निदेशक मलेरिया /सहायक निदेशक (राज्य मुख्यालय)/हाईकोर्ट/विधानसभा /सचिवालय/उत्तराखण्ड निवास दिल्ली डिस्पेंसरी/आई.डी.एच. /वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी -पुलिस/जेल/पी0ए0सी0 व अन्य चिकित्सालय (कैनाल डिस्पें0 हरिद्वार/यमुना डाकपत्थर परियोजना, चत प्रशिक्षण केन्द्र) मुख्य विशेषज्ञ-जिला-संयुक्त-महिला चिकित्सालय/अधीक्षिका/स्त्रीसेग विशेषज्ञ-महिला चिकित्सालय/अधीक्षक-जिला संयुक्त तथा बेस चिकित्सालय,	प्रा0चि0ओ0,प्रा0स्वा0केन्द्र अन्य चिकि0 जेल चिकि0 पी0ए0सी0 चिकि0 पुलिस चिकि0 मोबाइल चिकित्सालय-03 आई0डी0एच0 हैल्थ पोस्ट न0प0क0केन्द्र एम0एल0सी0यू0 वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डी0टी0सी0 सहायक निदेशक (राज्य मुख्यालय)

1	2	3	4	5	6	7
6	चिकित्साधिकारी ग्रेड-1	वेतनबैंच-3 ₹15600-39100 ग्रेड पे-6600	632	परिशिष्ट-1 के कमांक-7 पर उल्लिखित पद पर कुल 04 वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण करने पर, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्योष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	अधीक्षक सा10स्वा10 केन्द्र / टी0बी0 चिकि0	<p>स्वीवालय विधानसभा हार्डकोर्ट उत्तराखण्ड निवास दिल्ली डी.एल.ओ. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जी0डी0एम0ओ0 अधीक्षक जिला / महिला / सयु -27 अधीक्षक सा10स्वा10केन्द्र -59 मुख्य विशेषज्ञ -116 वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ -18</p> <p>डिस्पेन्सरी-01 डिस्पेन्सरी-01 डिस्पेन्सरी-01 -01 -03 -34 -31 -27 -59 -116 -18</p> <p>सा10स्वा10केन्द्र -59 प्रा0स्वा10केन्द्र -40 महिला चिकि0, संयुक्त चिकि. -65 एस0ए0डी0 -31 अति0प्रा0स्वा10 केन्द्र -79 वरिष्ठ नगरस्वास्थ्य अधिकारी -09 टी0बी0सी0 -12 महिला चिकित्सा अधिकारी -40 वरिष्ठ विशेषज्ञ -297</p>

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 30 जनवरी, 2014 ई0 (भाग 10, 1935 शक सम्वत्)

1	2	3	4	5	6	7
7	चिकित्सा अधिकारी	वेतन बैंड-3 ₹15600-39100 ग्रेड पे-5400	1199	एम०बी०बी०एस०/लोक आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	सेवा पर्वतीय/ग्रामीण क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय एंजिनीय चिकित्सा अति०प्रा० स्वा०केन्द्र/ पुरुष विशेषज्ञ- सा०स्वा०केन्द्र, स्त्रीरोग विशेषज्ञ-सा०स्वा० केन्द्र /ग्रामीण महिला चिकित्सालय, पुरुष विशेषज्ञ-जिला/सा०चि० /रक्तकोष, ई०एम०ओ० महिला तथा पुरुष चिकित्सालय, टी०बी० कलीनिक/चिकित्सालय/ सैनेटोरियम/ट्रोमा सेन्टर/ मानसिक रोग विशेषज्ञ/हाईकोर्ट डिस्पेंसरी	एस०ए०डी० अति०प्रा०स्वा०केन्द्र महिला चिकित्सा अति०प्रा.स्व.के.-72 ग्रामीण महिला चिकित्सालय-13 सा०स्वा०केन्द्र -374 सचल चिकित्सा टी०बी० -33 कलीनिक/सैनेटो./अस्पताल -9 ट्रोमा सेन्टर -77 मानसिक चिकित्सालय-4 जिला/महिला/संयुक्त चिकित्सा हाईकोर्ट डिस्पेंसरी -199 -2

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 65/XXVIII-2/01(343)2005, Dehradun, dated January 30, 2014 for general information:

No. 65/XXVIII-2/01(343)2005

Dated Dehradun, Januray 30, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Medical and Health Services.

The Uttarakhand Medical and Health Service Rule, 2014

Part -I – General

1. Short title and commencement:-

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Medical and Health Service Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

2. Status of the service— "Uttarakhand Medical and Health Services" is a such state service comprising of posts of Medical Officers Group "A" & "B".

3. Definitions— In these rules unless there is anything repugnant in the subject or content:-

(a) 'Appointing authority' means the Governor.

(b) 'Citizen of India' means a person who is or deemed to be a citizen of India or Part (II) of Constitution of India.

(c) 'Commission' means Uttarakhand Public Service Commission.

(d) 'Constitution' means the Constitution of India.

(e) 'Director' means the Director, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand.

(f) 'Director General' means the Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand.

(g) 'Government' means the Government of Uttarakhand.

(h) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand.

(i) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service.

(j) 'Principal Secretary/Secretary' means the Principal Secretary/Secretary to the Government, Medical, Health & Family Welfare Department, Uttarakhand.

(k) 'Service' means the Uttarakhand Medical and Health Services.

(l) 'Substantive Appointment' means appointment to the post in the cadre of the Service, which is not an adhoc appointment and made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government.

(m) 'Group A medical officer' means Medical Officers appointed in the existing pay scale of Rs. 15600-39100 pay Band-3 Grade pay-6600 or in higher grade.

- (n) '**Group 'B' medical officer**' means medical officers appointed in the existing pay scale 15600-39100, pay Band-3, Grade pay-5400.
- (o) '**Additional Director**' means the Additional Director/Principal Superintendent /Chief Medical Officers/Principal, Regional Health Family Welfare Training Centre."
- (p) '**Joint Director grade**' means Principal Specialist, Chief Medical Superintendent, Additional Chief Medical Officer, Senior Chief City Health Officers and such other Medical Officers posted in the equivalent pay scale.
- (q) '**Senior Medical Officer**' means Chief Specialist, Medical Superintendent, General Duty Medical Officer and Nagar Swasthya Adhikari.
- (r) '**Medical Officer grade I**' means Emergency Medical Officer and Specialist grade-1.
- (s) '**Medical Officer**' means all Medical Officers who are selected and appointed by direct recruitment through Commission.
- (t) '**Year of recruitment**' means period of twelve months commencing from the first day July of a calendar year.

Part - II- Cadre

4. Cadre of service -

- (1) The strength of the member in Service and the each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) Until orders varying the source are issued under sub rule (1) the number of posts in each category shall be such as given in Appendix 1.

Provided that:-

- i. The appointing authority may leave any vacant post unfilled or hold in abeyance, without thereby entitling any person to compensation; or
- ii. The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

Part - III - Recruitment

5- Source of Recruitment- Recruitment to posts of various categories in the Service shall be made from following sources :-

- i. **Director General-**
By promotion from amongst substantively appointed Directors who have completed One year service, as such, as mentioned at serial No.2 of Appendix 1 and total twenty six year service on the first day of recruitment year, on the basis of merit;
- ii. **Director-**
By promotion from amongst substantively appointed Additional Directors who have completed one year service, as such, as mentioned at serial No.3 of Appendix 1 and total twenty two years service on the first day of recruitment year, on the basis of merit;
- iii. **Additional Director-**
By promotion from amongst substantively appointed Joint Directors who have completed 3 years services as such as mentioned in the serial No.4 of Appendix 1 and total eighteen years service on the first day of recruitment year, on the basis of merit ;

- iv. **Joint Director-**
By promotion from amongst substantively appointed Senior Medical Officers, who have completed three years service, as such, as mentioned at the serial No.5 of Appendix 1 and total thirteen years service on the first day of recruitment year on the basis of merit;
- v. **Senior Medical Officer-**
By promotion from amongst substantively appointed Medical Officers Grade I, who have completed three years service, as such, as mentioned at the serial No.6 of Appendix 1 and total eight years service on the first day of recruitment year on the basis of seniority subject to the rejection of unfit;
- vi. **Medical Officer Grade I-**
By promotion from amongst substantively appointed such medical officers who have completed total four years service, on the first day of recruitment year as mentioned at the serial No.7 of Appendix 1 on the basis of seniority, subject to the rejection of unfit;
- vii. **Medical Officer -**
By direct recruitment through commission.
6. **Reservation-**
Reservation for the candidates belonging to Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Class and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part-IV Qualification

7. **Nationality -**

A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be :-

- (a) A citizen of India; or
- (b) A Tibetan refugee who came over to India before 1 January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (or) any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanganika (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the state Government.

Provided, further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, but the same has not been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. **Academic Qualifications-**

- (1) For direct recruitment in the service a candidate must have at least M.B.B.S. degree or an equivalent degree of a University recognized by the Medical Council of India.

Provided that the candidates who have holding Post Graduate Degree/Diploma or Equivalent Educational degree recognized from Medical Council of India Act, 1956, shall be preferred in selection:-

Sl.No.	Designation	Educational Qualification
1	2	3
1	Surgeon	M.S.-General Surgery, M.S.-Vascular surgery/M.C.H.-Oncology/M.C.H.-Surgical gastroenterology/M.C.H./D.M.-Oncology/D.M.-Rheumatology
2	Anaesthetist	M.D./M.S.(Anesthesia)/D.A.-Anesthesia/D.M.-Cardiac Anesthetist
3	Pathologist	M.D.-Pathology/D.C.P., D.M.-Hematology, Pathology/M.D.-Microbiology/M.D.-Blood banking and immuno Hematology and Blood transfusion/D.M.- Clinical Hematology
4	Physician	M.D.-Medicine), D.M.-Nephrology/D.M.-Endocrinology/Ph.D-Human Genetics/M.D.-Human Metabolism/D.M.-Pharmacology/D.M.-Gastroenterology
5	Radiologist	M.D.-(Radiology)/ D.M.R.D./D.M.R.T./D.M.-Neuroradiology
6	Cardiologist	M.D.-Medicine/Dip.-Card./D.M. Cardiology/D.M.-Pulmonary Medicine/D.M.-Pediatric Cardiology
7	ENT Surgeon	M.S.-E.N.T./ D.L.O./D.N.B.
8	Orthopaedic Surgeon	M.S.-Orth.) / D. Orth.
9	Ophthalmic Surgeon	M.S.-(Ophthalmocology) , D.O. M.S.
10	Pediatric Specialist	M.D.-Pediatrics) , D.C.H./D.M.-Pediatric Oncology/M.Ch-Pediatric Surgery
11	Dermatologist	M.D.-Skin/V.D.) /D. V.D.
12	T.B. Specialist /Chest Specialist	M.D.-T.B./D.T.C.D./M.D.-Chest/Dip. Chest/M.D.-Pulmonary Medicine
13	Gynecologist	M.S./M.D.-Gynecology/Obstetrics/ D.G.O.
14	Plastic Surgeon	M.S/M.C.H-Burn Plastic Surgery
15	Neurologist	M.D./ D.M-Neurology
16	Psychatrist	M.D-Psychatrist/Diploma in Psychological Medicine
17	Radiotherapist	M.D.-Radiotherapist
18	Micro-Biologist	M.sc-Medical Bacteriology/M.Sc-Micro-Biology/ Diploma in Bacteriology/Ph.D Micro-Biology
19	Neuro Surgeon	M.S-Neuro Surgery/M.Ch.-Neuro Surgery
20	Urologist	M.Ch.-urology
21	Nephrologists	D.M-Nephrology
22	Chest Surgeon	M.Ch.-Cardiac Thoracic Surgery

- (2) Prior to appointment in the 'Service, registration with the Uttarakhand Medical Council is mandatory.

9. Preferential Qualifications -

All Other things being equal for direct recruitment to the post of Medical officers preference will be given to those candidates who have:-

- (1) degree mentioned under rule (8) proviso; or
- (2) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or
- (3) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

10. Age -

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31, the age must be maximum 35 years.

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

11. Character-

The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

Note-

Persons dismissed by the Union Government or any State Government, or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status -

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service.

Provided that the Government may if satisfied, that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical fitness-

No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. In the case of Gazetted post or service, before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

Part - V - Procedure for Recruitment

14. Determination of vacancies -

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of a year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6 and in case of direct recruitment inform the Commission.

15. Procedure for direct recruitment -

- (1) Application for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form, which may be obtained from the Secretary to the Commission on payment.
- (2) The commission, shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward Castes and other categories in accordance with rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as they consider proper.
- (3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, name of the older candidate shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

16. Procedure for Selection by Promotion-

- (1) The Recruitment to the post of Director General and Director, shall be made on the basis of merit through a Selection Committee Comprising the following members :-

- | | |
|---|----------|
| (1) Chief Secretary
Government of Uttarakhand | Chairman |
| (2) Principal Secretary/ Secretary
Medical, Health and Family Welfare
Government of Uttarakhand | Member |
| (3) Principal Secretary/Secretary
Personnel Government of Uttarakhand | Member |
| (4) An officer belonging to the Scheduled Castes
or Schedule Tribes, not below the rank of Secretary to
the Government of Uttarakhand, nominated by the Chairman
of the Selection Committee. | Member |

- (2) Recruitment by Selection to the posts of Additional Director, Joint Director grade, Senior Medical Officer and Medical Officer Grade I shall be made on the basis of merit/seniority to the rejection of unfit through Selection Committee comprising the following members:-

- | | |
|---|----------|
| (i) Principal Secretary/Secretary
Medical, Health and Family Welfare
Government of Uttarakhand | Chairman |
| (ii) Principal Secretary/Secretary
Personnel or an officer, not below the rank of
Additional Secretary to the Government of Uttarakhand,
nominated by him. | Member |
| (iii) Director General
Medical, Health and Family Welfare
Uttarakhand | Member |
| (iv) An officer belonging to the Scheduled Castes
or Schedule Tribes not below the rank of Joint
Secretary to the Government of Uttarakhand, nominated
by the Chairman of the Selection Committee. | Member |

Note-

- (1) For providing representation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes of citizens in the Selection Committee officers shall be nominated in accordance with section 7 of the "Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other Backward Classes) Act, 1994 (as applicable to the State of Uttarakhand)."
- (2) Recruitment by promotion shall be made on the basis of Merit/Seniority, subject to rejection of unfit through the Selection Committee Constituted under Rule 16.
- (3) The Appointing Authority shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority, and placed it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.
- (4) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of records, as referred to in sub rule 3, and if it considers necessary it may interview the candidates.
- (5) The selection committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority, as it stands in the cadre from which they are promoted and shall forward the same to the Appointing Authority.

Part - VI - Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

17. Appointment -

- (1) The Appointing Authority shall make Appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15 and 16.
- (2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection a combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted;

18. Probation -

- (1) A Medical Officer substantively appointed to a post of Medical Officer shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) Medical Officer Grade I, Senior Medical Officer and Joint Director shall be placed on probation for a period of one year.
- (3) The Appointing Authority may for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted;

Provided that same in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

- (4) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (4) shall not be entitled to any compensation.
- (6) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

19. Confirmation-

A probationer shall be confirmed in his appointment, at the end of the period of probation or the extended period of probation, if his/her-

- (a) work and conduct is reported to be satisfactory
- (b) integrity is certified and
- (c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

20. Seniority -

- (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined by such order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person substantively appointed, that date, will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other case, it will mean the date of issue of the order.

Provided that, if more than one appointment order are issued in respect of any one selection, seniority will be as such, mentioned in combined appointing order issued under sub-rule (3) of rule 15.

- (2) The seniority inter se of persons appointed directly on the result of any one selection, shall be the same as determined by the Commission or, as the case may be, by Selection Committee:

Provided that a candidate recruitment directly may lose his seniority if the fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him, the decision of the appointment authority as to the validity of reasons, shall be final.

- (3) The Seniority inter se of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.
- (4) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the sources is prescribed, the inter se seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with Rule 20, in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that-

- (i) Where appointment from any sources are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, from seniority, to subsequent year in which there are vacancies in accordance with the quota.
- (ii) Where appointments from any sources fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that in the combined list of that year, to be prepared under this Rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.
- (iii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies quota.

Part VII – Pay etc

21. Pay Scale:-

- (1) The scales of pay admissible to persons appointed to various categories of posts in the service, shall be as determined by the Government from time to time
- (2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given in Appendix 1.
- (3) The benefit of three increments, which shall be part of the pay in the existing scale of pay shall be admissible to the all specialist diploma holder Medical Officers.
- (4) The benefit of Five increments, which shall be part of the pay in the existing scale of pay shall be admissible to the all specialist degree holder Medical Officers.
- (5) The benefit of seven increments, which shall be part of the pay in the existing scale of pay shall be admissible to the all Super Specialist (M.Ch/D.M and any other equivalent degree holder) medical officers.
- (6) The medical officer who has got benefit of above mentioned increments earlier, will not be permitted to get this benefit again.

22. Pay during probation –

- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government Service shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service, when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment, unless the Appointing Authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules,
- (3) The pay during probation of a person, who is already in permanent Government service shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII – Other provisions

23. Canvassing –

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be take into consideration. Any attempt on the part of the candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

24. Regulation of other matters-

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

25. Relaxation from the conditions of service

Where the State government is satisfied that the operation of any rule, regulating the condition of Service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extant and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equable manner.

Provided that where a rule been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

26. Wearing of apron with badge on Duty-

- (1) Every member of the Service, while on Duty, shall wear apron, with badge bearing name and designation, as laid down from time to time, by the Director General.
- (2) No allowance or expenditure of any kind shall be admissible to any member of the Service for preparing, purchasing or replacing the dress under sub-rule (1).

27. Savings -

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes of citizens and Other special categories or persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Notification No.65/XXVIII-2/01(343)2005 dated 21 January, 2014

Appendix-1

S. N.	Designation	Pay scale (in Rupees)	No. of posts	Qualification/Procedure for recruitment	Place of posting	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	Director General	Pay Band-4 37400-67000 Grade Pay-12,000	01	By promotion after completion of minimum 01 year service mentioned at serial no. 2 of Appendix-1 and total 26 years qualifying service, on the basis of merit.	Head Quarter	
2	Director	Pay Band-4 37400-67000 Grade Pay-10,000	06	By promotion after completion of minimum 01 year service mentioned at serial no. 3 of Appendix-1 and total 22 years qualifying service, on the basis of merit.	03 at Head Quarter, Director (Medical Health, National Programme, Budget Plan and Store), 02 Regional Director at Division level, 01 Director (Doon/Doon Coronation Hospital) Group.	Director, Doon Hospital 01 Regional Director 02 Director, Head Quarter 03
3	Additional Director	Pay Band-4 37400-67000 Grade Pay-8,900	35	By promotion after completion of minimum 03 years service at the post mentioned at serial no. 4 of Appendix-1 and total 18 years qualifying service, on the basis of merit.	08 at Head Quarter (Administration, National Programme, Planning, Store, Medical Care, Family Welfare/Maternity Child Health), Principal Superintendent 12 (Dehradun, Pauri, Uttarkashi, Nainital, Pithoragarh, Almora, Haridwar, Udham Singh Nagar, Base Hospital Almora/Srinagar/ Haldwani, T.B. Sanatorium, Bhowali), Chief Medical Officer 13 in each district. Principal for Regional Training Centre 02	Chief Medical Officer 13 Principal, Regional Training Centre 02 Principal Superintendent 12

1	2	3	4	5	6	7
4	Joint Director Additional Medical Officer, Joint Director (State Quarter), Divisional Director, Principal Specialist and Chief Medical Superintendent.	Pay Band-4 37400-67000 Grade Pay-8,700	160	By promotion after completion of minimum 03 years service at the post mentioned at serial no. 5 of Appendix-1 and total 13 years qualifying service, on the basis of merit.	Additional Chief Medical Officer/Divisional Chief Medical Officer/State Head Quarter/Chief Medical District, Women, Combined and Base Hospital/Mental Disease Institute/T.B. Sanatorium, Principal Specialist-Doon/Base Hospital.	Additional Chief Medical Officer Divisional Joint Director (State Quarter) Chief Medical Superintendent (Male)-25 Chief Superintendent (Female)-06
5	Senior Medical Officer	Pay Band-3 15600-39100 Grade Pay-7,600	396	By promotion after completion of minimum 03 years service at the post mentioned at serial no. 6 of Appendix-1 and total 08 years qualifying service, on the basis of Seniority, subject to the rejection of unfit.	Medical Officer 1 of Primary Health Center/G.D.M.O./Senior Medical Officer-District, Women, Base and Combined Hospital/District Leprosy Officer, D.T.C., Health Post, Urban Family Welfare Centre/M.L.C.U., Mobile Unit/Assistant Director Malaria/Assistant Director (State Head Quarter)/High Court/Legislative Assembly/Secretariat/Uttarakhand Niwas, Delhi Dispensary/ I.D.H./Senior City Health Officer-Police /Jail /P.A.C and Other Hospitals (Canal Dis, Haridwar/Yamuna Dakpatthar Project, Mobile Training Centre), Chief Specialist-Dist.-Combined-Women Hospital/Superintendent-District, Combined and Base Hospital, Superintendent-C.H./C.T.B. Hospital.	Principal Specialist -44 Primary M.O, P.H.C -40 Other Hospitals -03 Jail Hospitals -06 P.A.C. Hospitals -03 Police Hospitals -02 Mobile Hospitals -03 I.D.H -02 Health Post -09 Urban F.W. Centre -03 M.L.C.U. -15 Senior C.H.O. -04 D.T.C. -04 Assistant Director (State H.O) -08 Assistant Director (Malania) -02 Secretariat Dispensary -01 Legislative Ass. Dis.- 01 High Court Dis. -01 Uttarakhand Niwas, Delhi -01 D.L.O. -03 S.M.O -34 G.D.M.O. -31 Superintendent-Dist, Women and Combined -27 Superintendent-C.H.C -59 Chief Specialist -116 Senior Gynecologist -18

1	2	3	4	5	6	7
6	Medical Officer Grade I	Pay Band-3 15600-39100 Grade Pay-5,600	632	By promotion after completion of total 04 years qualifying service at the post mentioned at serial no. 7 of Appendix-1 and, on the basis of Seniority, subject to the rejection of unfit.	State Allopathic Dispensary, Additional Primary Health Center excluding remote areas of Hill/Rural regions/ Additional Primary Health Center and Female Medical Officer of P.H.C, C.H.C, Rural Women Hospital and 2 nd Medical Officer of P. H.C., Nagar Palika E.M.O Women and Men Hospital, Blood Bank, T.B. Clinic/Hospital/Sanatorium, Gynecologist/ Senior Specialist of Women Hospital, Distt., Combined and Base Hospitals/Mental Disease Specialist (Psychologist).	C.H.C P.H.C Women and Combined Hospital -59 -40 -65 -31 -79 -09 -12 -40 -297
7	Medical Officer	Pay Band-3 15600-39100 Grade Pay-5,400	1199	M.B.B.S./ by direct recruitment through Public Service Commission.	State Allopathic Dispensary, Additional Primary Health Center situated at remote areas of Hill/Rural regions/ Male Spellest-C.H.C., Gynecologist -C.H.C/Rural Women Hospital, Male Specialist-Distt./Combined Hospital/ Blood Bank, E.M.O Women and Men Hospital, T.B. Clinic/ Hospital/Sanatorium/Troma Centre/Mental Disease Specialist (Psychologist)/High Court Dispensary.	S.A.D. Add. P.H.C. Women Hospital, Add.P.H.C. Rural Women Hospital -290 -126 -72 -13 -374 -09 -77 -04 -199 -02

By Order,

OM PRAKASH,
Principal Secretary.